



शिक्षा मंत्रालय  
भारत सरकार

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग



vidyanjali

(स्कूल स्वयंसेवी प्रबंधन कार्यक्रम)

[www.vidyanjali.education.gov.in](http://www.vidyanjali.education.gov.in)

## प्रत्येक नागरिक के लिए एक आह्वान

विद्यांजलि कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सितंबर 2021 में शुरू किया गया। विद्यांजलि, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का एक अनूठा स्कूल स्वयंसेवी प्रबंधन कार्यक्रम है।

कार्यक्रम समुदायों और संगठनों एवं स्वयंसेवियों को शहरी और ग्रामीण ऐगोलिक क्षेत्रों में स्थित स्कूलों से जोड़ने के अवसर प्रदान करता है।

इस पहल का उद्देश्य छात्रों के समग्र विकास और स्कूल अवसंरचना में सुधार की दिशा में निजी क्षेत्र के योगदान को सक्षम बना कर स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की अवसंरचना को मजबूत बनाना है।





# विद्यांजलि का अब तक का सफर

(29 नवंबर 2022 तक के आंकड़े)



**3,91,399**  
प्लेटफार्म पर ऑन-बोर्ड स्कूल



**1,07,701**  
स्वयंसेवी



**1,05,2134**  
लाभान्वित छात्र



**38,523**  
स्कूलों से प्राप्त सेवा अनुरोध

# #आप भी बनें भागीदार

स्वयंसेवा के माध्यम से बदलाव लाएं

## जेनेटिक स्तर की सेवाएं/गतिविधियाँ

- विषय सहायता
- शिक्षण कला और शिल्प
- योग/खेल शिक्षण
- भाषा शिक्षण
- व्यावसायिक कौशल शिक्षण
- दिव्यांग छात्रों के लिए सहायता
- प्रौढ़ शिक्षा
- बच्चों के साथ मिल कर कहानियों की किताबें तैयार करना
- कैरियर काउंसलिंग के लिए छात्रों को सलाह देना
- प्रवेश परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए सहायता
- विलक्षण/प्रतिभाशाली बच्चों का मार्गदर्शन



# #आप भी बनें भागीदार

स्वयंसेवा के माध्यम से बदलाव लाएं

## प्रायोजित सेवाएं/गतिविधियां

- प्रशिक्षित परामर्शदाताओं और विशेष शिक्षकों को प्रायोजित करना
- शारीरिक स्वास्थ्य सहायता, मानसिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए प्रशिक्षित परामर्शदाताओं को प्रायोजित करना
- विशेषज्ञों द्वारा विशेष कक्षाएं
- डॉक्टरों द्वारा चिकित्सा शिविरों का प्रायोजन
- खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए प्रायोजन
- स्वास्थ्य और स्वच्छता संसाधनों के लिए प्रायोजन
- कम से कम एक शैक्षणिक सत्र के लिए हाउसकीपिंग हेतु अतिरिक्त जनशक्ति को प्रायोजित करना
- योग्य शिक्षकों द्वारा छात्रों के लिए विशेष सुधारात्मक कक्षाओं को प्रायोजित करना
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पहचान शिविरों को प्रायोजित करना
- लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रायोजित करना
- स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन प्रायोजित करना





# विद्यानंजलि

(स्कूल स्वयंसेवी प्रबंधन कार्यक्रम)



# #आप भी बनें भागीदार

अवसंरचना सुदृढ़ीकरण और संसाधन योगदान  
के माध्यम से मूल्यवर्धन करें



**बुनियादी सिविल और विद्युत अवसंरचना**



**सह-पाठ्यचर्या और खेल सामग्री**



**डिजिटल अवसंरचना**



**कक्षा की जनरेत की वस्तुएँ**



**स्वास्थ्य और सुरक्षा सहायता**



**आवासीय विद्यालय की वस्तुएँ**



**रखरखाव और मरम्मत**



**स्वच्छता, सफाई और राशन किट**



**टूल किट्स**



**लेखन सामग्री**

# एनईपी 2020 की स्वयंसेवा भावना को बनाए रखना

राष्ट्रीय शिक्षा निति (एनईपी 2020) परिकल्पना के अनुसार, विद्यांजलि भारत की शिक्षा प्रणाली को रूपांतरित करने में स्वयंसेवा और सामुदायिक भागीदारी की भावना को बनाए रखता है। निम्नलिखित प्रावधान इसी बात को दर्शाते हैं:

- समुदाय का प्रत्येक साक्षर सदस्य एक छात्र/व्यक्ति को पढ़ना सिखाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाए, इससे देश का परिदृश्य बहुत जल्दी बदल जाएगा। राज्य इस तरह के सहकर्मी-शिक्षण और स्वयंसेवी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अभिनव मॉडल स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं, इस राष्ट्रव्यापी मिशन में मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान को बढ़ावा देने के लिए शिक्षार्थियों का समर्थन करने हेतु अन्य कार्यक्रम थुक्क कर सकते हैं, (एनईपी पैरा 2.7);
- जब बच्चे कुपोषित या अस्वस्थ होते हैं तो वे बेहतर रूप से सीखने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए, बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं (मानसिक स्वास्थ्य सहित) को स्कूली शिक्षा प्रणाली में स्वस्थ भोजन और भली भाँति प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, काउंसलर, और समुदाय की भागीदारी के माध्यम से हल किया जाएगा। (एनईपी पैरा 2.9);

- आसान पहुंच प्रदान करने के लिए, स्वयंसेवकों को विभिन्न कार्यक्रमों के तहत शामिल किया जा सकता है और प्रौद्योगिकी और सामुदायिक पहुंच के व्यापक उपयोग से छात्रों और स्वयंसेवकों के बीच बातचीत को उत्प्रेरित किया जा सकता है (एनईपी पैरा 3.6 और 3.7);



# ट्रितधारकों के बीच अभियान को बढ़ावा देना



## समर्थकारी

राज्य, जिला और  
स्कूल प्रशासन



## स्वयंसेवी

व्यक्तिगत स्वयंसेवी,  
समुदाय, संगठन



## लाभार्थी

स्कूल और छात्र

# ठपांतरकारी प्रभाव

## के लिए उत्प्रेरक



पूरे भारत में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शैक्षिक संसाधनों और गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना तक पहुँच संबंधी अंतर को पाठना



स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों, फिटनेस और मानसिक स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण



निजी क्षेत्रों की भागीदारी के माध्यम से स्कूलों और प्रशासन पर पड़ने वाले कार्यदबाव को कम करना



स्वयंसेवा के माध्यम से नागरिकों, समुदायों और संगठनों की भागीदारी को सक्षम बनाना और छात्रों के समग्र विकास में उनके योगदान को बढ़ाना



निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वयंसेवकों, सरकार, स्कूलों, प्रशासनिक निकायों और छात्रों सहित सभी हितधारकों के बीच अभिसरण और सामूहिक कार्यों को बढ़ावा देना



विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पर्याप्त गुणवत्ता पहुँच के साथ समावेशी स्कूल समुदायों का साथ-साथ निर्माण करना

# स्वयंसेवी कौन हो सकता है?

भारत के नागरिक, एनआरआई या भारतीय मूल के व्यक्ति



सेवारत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक



सेवारत और सेवानिवृत्त वैज्ञानिक/सरकारी/  
अर्ध-सरकारी अधिकारी



सेवानिवृत्त सशस्त्र बल के जवान



स्व-नियोजित और वेतनभोगी प्रोफेशनल



शिक्षण संस्थानों के पूर्व छात्र



गृहणियाँ



भारत में पंजीकृत संगठन/संस्था/कंपनी/समूह

# विद्यांजलि में कैसे भाग लें?

1



विद्यांजलि पोर्टल को <https://vidyanjali.education.gov.in> द्वारा  
एक्सेस किया जा सकता है।

2



स्वयंसेवी पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं और दो श्रेणियों में योगदान दें  
सकते हैं: सेवाएँ/गतिविधियाँ और संपत्ति/ सामग्री/उपकरण।

3



यूडीआईएसडी+ कोड वाले स्कूल पोर्टल पर पंजीकरण करेंगे।

4



स्कूल आवश्यक सेवा/गतिविधि या संपत्ति/सामग्री/उपकरण की एक  
सूची पोस्ट करेंगे

5




स्कूल द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार, स्वयंसेवी अपनी  
विशेषज्ञता/ठचि क्षेत्र के आधार पर स्कूलों को आंशिक रूप से/पूर्ण रूप से  
अपनी सेवा देने के लिए/संपत्ति के योगदान के लिए अपनी इच्छा व्यक्त  
कर सकता/सकती है।

# प्रौद्योगिकी-सक्षम स्वयंसेवा

यह पहल प्रौद्योगिकी की उस महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानती है जो किसी उद्यम की विस्तार क्षमता और सततता के लिए आवश्यक होती है। डिजिटल भारत के विजन में निहित विद्यांजलि सभी परिचालनों और प्रयासों की सहायता के लिए एक समग्र ई-पोर्टल से सुसज्जित है। यह डिजिटल प्लेटफार्म स्वयंसेवी पंजीकरण, स्कूल ऑन-बोर्डिंग, डेटाबेस प्रबंधन, अध्यतन गतिविधियों एवं स्वयंसेवा और योगदान के प्रयास को सक्षम बनाता है।



[www.vidyanjali.education.gov.in](http://www.vidyanjali.education.gov.in)




# सम्प्रेषण, गतिशीलता और पहुंच

## 1. सोशल मीडिया



## 2. वेबसाइट



विद्यांजलि  
(स्कूल स्वयंसेवी प्रबंधन कार्यक्रम)



[www.vidyanjali.education.gov.in](http://www.vidyanjali.education.gov.in)

ईमेल आईडी: [vidyanjali-edu@gov.in](mailto:vidyanjali-edu@gov.in)  
पोर्टल के माध्यम से हमसे जुड़ें <https://vidyanjali.education.gov.in/en/contactus>



(स्कूल स्वयंसेवी प्रबंधन कार्यक्रम)



सत्यमेव जयते

# शिक्षा मंत्रालय

## भारत सरकार

[www.vidyanjali.education.gov.in](http://www.vidyanjali.education.gov.in)